न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः— उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.

अपील सं. 12/2020

भोला सिंह पुत्र श्री जीवण सिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

——अपीलांट

बनाम

1. विवेक पुत्र बालकृष्ण अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी 1 डी 21, जवाहरनगर, गंगानगर तहसील व जिला श्री गंगानगर (राज०)।
2. तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ ।

——रेस्पोडेंटान

अपील बनाराजगी आदेश तहसीलदार (भू.अ.), टिब्बी, दिनांक 30.11.2015, प्रार्थना पत्र विवेक बनाम स्टेट, प्रकरण सख्या 63/2014। वास्ते करने मन्सुख उपरोक्त निर्णय दिनांक 30.11.2015।

उपस्थितः—1. श्री महेन्द्र सिंह सन्धू अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री लालचन्द वर्मा अभिभाषक रेस्पो. सं. 01।
3. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अभिभाषक।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

—:निर्णयः—

दिनांकः —16.10.2025

अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेन्ट सख्या 1 द्वारा रेस्पोडेन्ट सख्या 2 के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि जगदीश चन्द्र के नाम से चक 650 आर.डी. पत्थर नम्बर 221/304 मुरब्बा नम्बर 10 किला नम्बर 4/2/1063, 24, 25, पत्थर नम्बर 220/305 मुरब्बा नम्बर 16 किला नम्बर 4 ता 7 कुल 1.581 हैक्टेयर आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जगदीश चन्द्र की मृत्यु दिनाक 10.03.2000 को हो गई है तथा आराजी को अपने नाम नामान्तरण करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त कर रेस्पोडेन्ट सख्या 2 द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलान्ट के पूर्वजो को दिनांक 23.07.1983 को श्रीमान उप जिलाधीश, हनुमानगढ द्वारा चक 650 आर.डी. के पत्थर नम्बर 221/304 मुरब्बा नम्बर 10 किला नम्बर 4/2/.063, 24, 25, पत्थर नम्बर 220/305 मुरब्बा नम्बर 16 किला नम्बर 4 ता 7 कुल 1.581 हैक्टेयर कृषि भूमि व अन्य भूमि आवंटित हुई थी। जमीदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम नियम 1959 लागू होने के समय उक्त भूमि अपीलान्ट के पूर्वजो के कब्जा काश्त में थी। गिरदावरी सम्वत 2016 के आधार पर पर्चा खतौनी मे उक्त भूमि अपीलान्ट की गैर दाखिलदारी अंकित होनी चाहिए थी परन्तु रिकार्ड तैयार करते समय उक्त समस्त भूमि गलती से आराजीराज दर्ज कर दी, जिस कारण निराणाराम आदि को उक्त आराजी आवंटित हो गई तथा उनके द्वारा बेचान करने पर उक्त आराजी जगदीश चन्द्र के नाम दर्ज हुई तथा उप जिलाधीश महोदय द्वारा उक्त भूमि अपीलान्ट के पूर्वजो को जरिये आदेश दिनांक 23.07.1983 आवंटित कर दी, जिसके विरूद्ध जगदीश चन्द्र पुत्र चन्दूलाल द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिस कारण उक्त आदेश अन्तिम हो चुका है। जगदीश चन्द्र का वादग्रस्त आराजी से कोई सरोकार नही रहा है, जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट सख्या 2 को भलीभांति थी, फिर भी अपीलान्ट व अपीलान्ट के परिवार के सदस्यों के हको की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो काबिल खारिजी है। अपीलान्ट के पूर्वजों द्वारा माननीय अपर जिला कलैक्टर (जागीर) महोदय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 28.04.2009 को प्रस्तुत किया, जो वर्तमान में बतौर प्रकरण

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ

संख्या 15/2009 लम्बित है जिसमें आगामी पेशी 23.10.2020 नियत है तथा जगदीश चन्द्र के वारिसान चक 650 आर.डी. के पत्थर नम्बर 221/304 मुरब्बा नम्बर 10 किला नम्बर 4/2/. 063, 24, 25, पत्थर नम्बर 220/305 मुरब्बा नम्बर 16 किला नम्बर 4 ता 7 कुल 1.581 हैक्टेयर कृषि भूमि को अपने नाम दर्ज करवाकर अन्तरित करना चाहते है जबकि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट व अपीलान्ट के परिवार के अन्य सदस्यों के कब्जा काश्त में है तथा अपीलाधीन आदेश में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता भी हाजिर थे जिनके द्वारा यह समस्त कार्यवाही मुताबिक वसीयत करवाई गई है तथा बालकृष्ण द्वारा दिनांक 27.06.2011 को प्रकरण संख्या 15/2009, जीवन सिंह बनाम स्टेट में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सीपीसी प्रस्तुत किया गया था, जिससे बालकृष्ण को प्रकरण संख्या 15/2009 तथा उसके समस्त तथ्यों व अपीलान्ट व उसके परिवार के सदस्यों के कब्जा काश्त में वादग्रस्त आराजी होने के तथ्यो की भलीभांति जानकारी थी लेकिन प्रकरण की जानकारी होने के बावजूद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व बालकृष्ण ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से अपीलाधीन आदेश पारित करवाया गया है। अपीलाधीन प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा पटवारी हल्का से वादग्रस्त आराजी खातेदारी होने अथवा नहीं होने, स्वअर्जित/पैतृक होने व मौके पर कब्जा काश्त के तथ्यों के सम्बन्ध में रिपोर्ट चाही गई थी, जो कानूनन आवश्यक थी, जिसमें पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 10.04.2014 को रिपोर्ट की गई, जिसमे कब्जा काश्त बाबत रिपोर्ट नहीं की गई क्योकि वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त अपीलान्ट व अपीलान्ट के परिवार के सदस्यों का है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा मौके की रिपोर्ट प्राप्त किये बिना जानबूझकर प्रकरण संख्या 15/2009 के लम्बित रहते हुए कब्जा काश्त की रिपोर्ट प्राप्त किये बिना रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में अपीलाधीन आदेश पारित किया, जो काबिल खारिजी है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट व अपीलान्ट के परिवार के सदस्यों का कब्जा काश्त है, जिसकी ताईद आदेश दिनांक 23.07.1983 व पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 13.01.2009, 24.02.2011 व तहसीलदार टिब्बी की रिपोर्ट दिनांक 13.01.2009, 15.04.2005, 25.02.2011 से होती है परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा वादग्रस्त आराजी बाबत उक्त रिपोर्ट करने के बावजूद तथा मौका पर कब्जा काश्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का न होने के तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद अपीलाधीन आदेश पारित किया, जो विधिविरूद्ध होने के कारण काबिल खारिजी है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादग्रस्त आराजी बाबत प्रार्थना पत्र संख्या 15/2009, माननीय अपर जिला कलैक्टर महोदय, हनुमानगढ़ के समक्ष जैरकार होते हुए भी आराजी के राजस्व रिकार्ड की स्थिति को परिवर्तित करना चाहते है जबकि लिस पेन्डेन्स के सिद्वान्त के मुताबिक प्रकरण के विचाराधीन रहते आराजी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड की स्थिति कानूनन परिवर्तित नहीं की जा सकती। विचाराणीय न्यायालय द्वारा अपीलाधीन प्रकरण बाबत राष्ट्रीय स्तर के दैनिक समाचार पत्र में आम सूचना का नोटिस प्रकाशित होना चाहिए था जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा जानबूझकर स्थानीय समाचार पत्र में आम सूचना का नोटिस प्रकाशित करवाया, जिसमें वादग्रस्त आराजी का विवरण भी अंकित नहीं किया गया है, जिसका प्रचलन बहुत कम है. यदि राष्ट्रीय स्तर के दैनिक समाचार पत्र में प्रकरण बाबत आम सूचना प्रकाशित करवाई होती तो अपीलान्ट व अन्य द्वारा अपने ऐतराज व्यक्त किये जाते, इस कारण अपीलान्ट को पूर्व में अपीलाधीन प्रकरण की जानकारी नहीं हो सकी। दिनांक 12.10.2020 को पटवारी हल्का से आवश्यक कार्य हेतु सम्पर्क करने पर प्रथम बार अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.11.2015 की जानकारी हुई तथा अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन कर प्रमाणित प्रति प्राप्त करने उपरान्त तथा अन्ज कागजात फीस इत्यादि का इन्तजाम कर यह अपील आज बिना किसी देरी से पेश कर रहा है। अपील अपीलान्ट जानकारी से अन्दर मियाद है। अपीलान्ट अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा करवाने का अधिकारी है। अपीलान्ट अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा करवाने का अधिकारी है। अपीलान्ट के आधिपत्य व धारण की आराजी जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.11.2015 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम की जाती है तो अपीलान्ट के हितो पर

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

30/
अपर जिला कलक्टर,
हनुमानगढ़

विपरित प्रभाव पडेगा। अपीलान्ट/प्रार्थी प्रभावित पक्षकार है तथा प्रभावित पक्षकार होने के नाते बतौर तृतीय पक्षकार अपील प्रस्तुत कर रहा है। वादग्रस्त आराजी चक 650 आर.डी. पत्थर नम्बर 221/304 मुरब्बा नम्बर 10 किला नम्बर 4/2/063, 24, 25, पत्थर नम्बर 220/305 मुरब्बा नम्बर 16 किला नम्बर 4 ता 7 कुल 1.581 हैक्टेयर अपीलान्ट व अपीलान्ट के सदस्यों के आधिपत्य व धारण की आराजी है। रेस्पोडेन्ट सख्या 1 अपीलाधीन आदेश के आधार पर वादग्रस्त आराजी को अपने नाम दर्ज करवाकर अन्यत्र रहन, बैय आदि द्वारा अन्तरित करने पर उतारू है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर माननीय अधिनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.11.2015 को अपास्त किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गयी। रेस्पोडेन्ट सं. 01 की ओर से श्री लालचन्द वर्मा व रेस्पो. सं. 02 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने उपस्थिति दी।

बहस सुनी गयी। अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर माननीय अधिनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.11.2015 को अपास्त किया जावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 01 ने अपनी लिखित बहस पेश कर बहस के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी ने न्यायालय तहसीलदार टिब्बी के आदेश दिनांक 30. 11. 2015 के विरूद्ध पेश की है। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी के पक्ष में न्यायालय उप जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ द्वारा पत्रावली सं0 461/79 शीर्षक गैरदाखिलकारी आवंटन "प्रार्थीगण तारासिह आदि बनाम स्टेट" के पक्ष में है। इसलिए तहसीलदार के आदेश दिनांक 30.11.2015 निरस्त फरमाया जाये। रेस्पोडेन्ट की तरफ से कथन है कि यह भूमि जगदीशचन्द्र पुत्र चन्दूलाल जाति अग्रवाल निवासी श्री गंगानगर के नाम खातेदारी दर्ज है और जगदीशचन्द्र ने अपने जीवनकाल में यह भूमि रेस्पोडेन्ट सं० 1 विवेक के पक्ष में वसीयत कर दी थी। जगदीशचन्द्र की मृत्युपरान्त के पश्चात् तहसीलदार के समक्ष वसीयत के आधार पर रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु आवेदन किया गया। बाद जांच उपरान्त तहसीलदार महोदय ने रेस्पोडेन्ट सं० 1 विवेक के पक्ष में वसीयत के आधार पर चक 650 आरडी के प० न० 221/304(10) कि० न० 4/2/.063 व कि० न० 24–25/506 हेक्टेयर, प० न० 220/305(16) कि० न० 4, 5, 6, 7/1.012 कुल 1.581 हेक्टेयर भूमि का राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण दर्ज करने के आदेश दे दिये गये। तहसीलदार ने समस्त तथ्यों की जांच कर यह विधिवत कार्य किया है। अपीलार्थीगण स्व० जगदीशचन्द्र पुत्र चन्दूलाल के वारिसान नहीं है व ना ही वसीयतग्रहिता है। इसलिए तहसीलदार के आदेश दिनांक 30.11.2015 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नही कर सकते। अपीलार्थीगण ने स्व० जगदीशचन्द्र पुत्र चन्दूलाल की वसीयत को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी है और ना ही किसी अन्य ने भी आज तक इस वसीयत को चुनौती दी है। जमीदारी एंव बिस्वेदारी उन्नमुलन अधिनियम 1959 के तहत निर्णय दिनाक 23.07.83 को निर्णय पारित किया है जिसमे इस प्रकरण से सम्बन्धित भूमि का निर्णय तारासिह आदि के पक्ष में किया गया है। जबकि जमीदारी एंव बिस्वेदारी उत्न्नमुलन अधिनियम 1959 के नोटिफिकेशन No- D- 1620/F.11(4) Rev. D/60 Dated:-8-3-60 के तहत सुनवाई एंव निर्णय करने का प्रावधान जिला कलेक्टर (जागीर) को दिया गया था। तत्पश्चात् जिला कलेक्टर श्री गंगानगर ने यह अधिकार अपर जिला कलेक्टर (जागीर) को प्रदत कर दिये। तत्पश्चात् जिला हनुमानगढ़ बनने से इस अधिनियम के तहत अधिकार माननीय न्यायालय (अपर जिला कलेक्टर जागीर हनुमानगढ़) को सुनने का अधिकार है। लेकिन प्रकरण में निर्णय व डिक्री दिनांक 23.07.83 उप जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ द्वारा पारित की गई है जिनको इस अधिनियम के तहत सुनवाई व निर्णय पारित करने का अधिकार नहीं था। इस प्रकार के निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध है। इसलिए अपीलार्थीगण इस निर्णय व डिक्री को आधार बनाकर

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

अपील प्रस्तुत नही कर सकते। उप जिला कलेक्टर के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.07.83 की पालना हेतु वर्ष 2009 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अर्थात 26 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया है। जबकि विधि के विधान अनुसार 12 वर्ष तक डिक्री की पालना का आवेदन किया जा सकता है। उसके बाद पालना हेतु प्रार्थना पत्र नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार प्रार्थना पत्र मियाद बाहर है। इसलिए भी निर्णय व डिक्री दिनाक 23.07.83 अपील का आधार नही बन सकती। न्यायालय उप जिला कलेक्टर टिब्बी द्वारा प्रकरण सं० 554/221 बअनवानी विवेक बनाम बालकृष्ण आदि में निर्णय व डिक्ली विवेक अग्रवाल के पक्ष में राज० काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 में डिक्री पारित कर दी है। इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में इस भूमि पर जीवणसिह आदि एवं उसके किसी वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। अपीलार्थी को तहसीलदार के आदेश दिनांक 30.11.2015 की पालना होने से कोई नुकसान नहीं है। केवल मात्र जगदीशचन्द्र खातेदार की मृत्यु के उपरान्त उसके वारिस को रिकार्ड पर लिया जाना कानूनी प्रक्रिया है जो एक फिक्सल कार्यवाही है। जो लगान वसुल करने के लिए व अधिकार को अपडेट करने के लिए की जाती है। जिसका स्वामित्व निर्धारण से कोई सम्बन्ध नहीं होता है। अतः बहस कर निवेदन है किया कि अपील उक्त तथ्यो, विधिं व परिस्थितियों के मद्दे नजर निरस्त फरमाई जावे। बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये–

1. RRD 1979 page 1
2. RRD 1974 Page 341
3. RRD June 2002 Page 280
4. RRD 2019(2) page 976

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किये कि तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी द्वारा जारी निर्णय दिनांक 30.11.2015 विधि अनुसार है। इसलिए अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट ने बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुत कर धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें चुनौतीधीन निर्णय व आदेश की जानकारी अपील प्रस्तुत करने से 04 दिन पूर्व ही होना बताया है। अपीलांट ने विलंब का कारण तथा इसके संबंध में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। न्यायहित में अपीलांट का दफा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अन्दर मियाद ग्रहण की जाती है।

इसके पश्चात प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी पर विचार किया गया। प्रश्नगत भूमि पूर्व में अपीलाण्ट के पूर्वजों को अलॉट थी इसलिए उक्त विवादित भूमि में अपीलांट्स को प्रभावित पक्षकार होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है अतः प्रार्थना पत्र अपीलांट अंतर्गत धारा 96 सीपीसी न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया और उद्घृत न्यायिक नजीरों पर मनन किया गया।

1. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के दादा जगदीश चन्द्र पुत्र चन्दूलाल जाति अग्रवाल निवासी जवाहरनगर श्रीगंगानगर द्वारा दस्तावेज वसीयत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 विवेक पुत्र बालकृष्ण जाति अग्रवाल निवासी जवाहरनगर श्रीगंगानगर के हक में दिनांक 13.10.1996 को वसीयत की हुई है।
2. न्यायालय तहसीलदार टिब्बी जिला हनुमानगढ द्वारा निर्णय दिनांक 30.11.2015 अनवानी विवेक बनाम सरकार द्वारा जगदीश चन्द्र पुत्र चन्दूलाल जाति अग्रवाल निवासी जवाहरनगर श्रीगंगानगर के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का वसीयतनामा अनुसार नामान्तकरण करने करने कर निर्णय पारित किया गया है।
3. उक्त वसीयत अपंजीकृत है एवं तहसीलदार राजस्व टिब्बी से प्राप्त पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया की उक्त वसीयत पत्रावली के फर्द अहकाम पर तत्कालीन

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर एवं दिनांक अंकित नही है। जिससे स्पष्ट है की उक्त पत्रावली अपूर्ण है।

अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार (भू.अ.) टिब्बी जिला हनुमानगढ द्वारा निर्णय दिनांक 30.11.2015 अनवानी विवेक बनाम सरकार अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार भू.अ. टिब्बी जिला हनुमानगढ को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षकारान को सुनकर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर,
हनुमानगढ़